राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर फोन नं.: 2716800,
2716816 ई–मेलः member-secretary@rpcb.nic.in

क्रमांकः एफ III (591)/रा.प्र.नि.मं./स्था./4386–4396 दिनांकः 12-01-2022

कार्यालय आदेश

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल कर्मचारी सेवा नियम एवं विनियम, 1993 तथा यथा संशोधित नियमों के अन्तर्गत कनिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता के रिक्त पदों पर जारी विज्ञप्ति विज्ञापन संख्या प03(561) राप्रनिमं/स्था/सीधी भर्ती/2020/2205 दिनांक 21–12–2020 एवं समसंख्यक कार्यालय आदेश कमांक 3084 दिनांक 12–3–2021 एवं समसंख्यक संशोधित आदेश कमांक 17 दिनांक 05–04–2021 के सीधी भर्ती हेतु आयोजित परीक्षा 2020 में सफल घोषित किये गये अभ्यार्थियों को कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20–01–2006 एवं वित्त वित्त(नियम) विभाग की अधिसूचना कमांक प015(1) वित्त/नियम/2017 दिनांक 30–10–2017 के अनुसार दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षाणार्थी (Probationer-Trainee) कनिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता के रूप में नियत पारिश्रमिक रूपये 23,700/– प्रतिमाह अथवा पूर्व से नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं, उनके सन्दर्भ में वित्त विभाग की अधिसूचना कमांक प01(2) एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13–3–2006 के अनुसार देय वेतन भत्तों पर उनके आगे अंकित क्षैत्रीय कार्यालय में उपस्थिति देने की संगत तिथि से एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता हैः–

क0सं0	रोल नम्बर	अभ्यार्थी का नाम श्री/सुश्री/श्रीमती	वर्ग/श्रेणी	जन्मतिथि	स्थान क्षे0का0
1	100233	अनुराग त्रिपाठी	सामान्य	31–08–1994	क्षे0का0, भरतपुर
2	101860	प्रकाश चन्द बलीवाल	बी0सी0	04–06–1993	क्षे0का0, किशनगढ
3	104353	अंकुशकुमार मीना	एस0टी0	25–11–1997	क्षे0का0,जयपुर(उत्तर)

उक्त नियुक्तिया निम्नलिखित शर्तो के अधीन की जा रही हैः–

1	यह नियुक्तियॅा माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन एस0बी0 सिविल रिट पिटीशन संख्या 5155/2021 शिल्पा बहेती बनाम राजस्थान राज्य एस0बी0 सिविल रिट पिटीशन संख्या 3986/2021 पूजा नामा पुत्री श्री श्रीकान्त नामा बनाम राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,एस0बी0 सिविल रिट पिटीशन संख्या 4923/2021 तनु शर्मा पुत्री श्री नीरज शर्मा बनाम राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल एवं एस0बी0 सिविल रिट पिटीशन संख्या 6427/2021 मिथुन भट्ट बनाम राजस्थान राज्य के अन्तिम निर्णयों के अध्यधीन होगी। एस0बी0 सिविल रिट पिटीशन संख्या 4923/2021 तनु शर्मा पुत्री श्री नीरज शर्मा बनाम राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16–4–2021 की अनुपालना में विधवा अभ्यार्थियों के लिए आरक्षित पदों के विरूद्ध अस्थाई (PROVISIONAL) चयनित परित्यक्ता अभ्यार्थियों की नियुक्ति उक्त प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय तक उक्त पदों को रिक्त रखते हुए लम्बित रखी जाती है।
2	एस0बी0 सिविल रिट पिटीशन संख्या 5068/2021 हेमन्त जाखड पुत्र श्री महेश कुमार जाखड बनाम अध्यक्ष, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11–5–2021 की अनुपालना में बी0सी0 वर्ग में अस्थाई (PROVISIONAL) चयनित अभ्यार्थियों की नियुक्ति में से बी0सी0 (B.C.) वर्ग के एक पद को रिक्त रखते हुए इस पद पर नियुक्ति उक्त प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय तक लम्बित रखी जाती है।
3	परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त विभाग की अधिसूचना कमांक प012(6)वित्त/नियम/05 दि0 13–3–2006, प06(6)वित्त/नियम/2005 दिनांक 13–3–2006, प01(2)वित्त/नियम/ 2006 दिनांक 13–3–2006 व प0 13 (1) वित्त/नियम/2003 दिनांक 13–3–2006 तथा राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम 2006 दिनांक 30–10–2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के हकदार होंगे इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते देय नहीं होगें। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लंम्बित एसएलपी 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगी।
4	परिवीक्षा काल (Probationer-Period) में इन्हें कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।
5	उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियॅा उनके चरित्र प्रमाण पत्र, मण्डल द्वारा संतोजनक पाये जाने के अध्यधीन होगी

	यदि किसी अभ्यर्थी को चरित्र प्रमाण पत्र संतोषजक नहीं पाया गया तो उसके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिए जायेंगे।
6	उक्त अभ्यार्थियों की जन्म तारीख वहीं है जो इन्होंने परीक्षा में आवेदन पत्रों के प्रारूप में अंकित की गई थी और जिन्हें सम्यक सत्यापन के बाद स्वीकार किया गया ळें
7	अभ्यर्थी को दो वर्ष का कार्य सफलता पूर्वक करने एवं कार्य सन्तोषजनक पाये जाने पर नियमानुसार पे मैट्रिक्स लेवल 10 में रूपये 33,800/– एवं नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगे।
8	यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी आधार पर है, परन्तु मण्डल द्वारा इन्हें स्थाईकरण के लिए उपयुक्त समझे जाने की दशा में इनको राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल कर्मचारी सेवा नियम एवं विनियम,1993 तथा यथा संशोधित नियमों के अन्तर्गत स्थाई आधार पर नियुक्त किया जा सकेगा।
9	यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त अभ्यार्थियों की नियुक्तिया राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल कर्मचारी सेवा नियम एवं विनियम, 1993 तथा यथा संशोधित नियमों/उपबन्धों एवं और अपेक्षाओं के सम्बन्धित सेवा नियम एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं शर्तो के अध्यधीन है।
10	यदि किसी कनिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता का कार्य परिवीक्षाकाल में असंतोषजनक पाया गया या ऐसा प्रतीत हुआ कि वह कनिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता के कार्य दक्षता प्राप्त नहीं कर सकता है तो उसे अविलम्ब पद से मुक्त (DISCHARGE) किया जा सकेगा।
11	राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार सेवा ग्रहंण पर यात्रा भत्ता नहीं होगा।
12	उक्त अभ्यार्थी निर्धारित तिथि पर अपनी उपस्थिति नहीं दर्शाता है एवं मण्डल की लिखित अनुमति के पश्चात् निर्धारित समयावधि में अपनी उपस्थिति रिपोर्ट नहीं देता है और न ही किसी प्रकार की सूचना प्रेषित करता है तो उसके नियुक्ति आदेश को स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
13	नियुक्ति के पश्चात् भी किसी बोर्ड/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय को विधि सम्मत मान्यता नहीं होने की स्थिति में अथवा उसके द्वारा जारी योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र में शैक्षणिक/तकनीकी खामियॉ पाये जाने पर सेवायें समाप्त कर दी जावेगी।
14	अभ्यार्थी को परिवीक्षाधीन प्रशिक्षाणार्थी (Probationer-Trainee) कनिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता के पद पर उनके आगे अंकित क्षेत्रीय अधिकारी के कार्यालय में **दिनांक 31 जनवरी, 2022** तक आवश्यक रूप से अपनी उपस्थिति दर्शानी होगी एवं उपस्थिति रिपोर्ट के साथ शपथ पत्र (सलग्न प्रारूप में) एवं निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने अनिवार्य होगेः–
	1–विवाहित अभ्यर्थियों को उनका विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र।
	2–पुलिस सत्यापन रिपोर्ट– (मूल) एवं 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र (मूल)।
	3–मुख्य चिकित्सा अधिकारी या इसके समकक्ष चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण (मूल)।
	4–कोविड–19 के अन्तर्गत कोरोना नेगेटिव जॉच रिपोर्ट जो 72 घन्टे से अधिक पुरानी न हो।

(आनन्द मोहन)
सदस्य सचिव

क्रमांकः एफ III(591)/रा.प्र.नि.मं./स्था./ 4386–4396 दिनांकः 12-01-2022

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1 निजी सचिव, अध्यक्ष महोदया, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
2 अतिरिक्त निजी सचिव, सदस्य सचिव, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
3 मुख्य पर्यावरण अभियन्ता/मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी/मुख्य लेखाधिकारी, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
4 आहरण एवं वितरण अधिकारी, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
5 श्री अनुराग त्रिपाठी पुत्र श्री विवेकानन्द त्रिपाठी, 49/327 राधव नगर जिला देवरिया 274001 (उत्तर प्रदेश)
6 प्रकाश चन्द बलीवाल पुत्र श्री बंशीधर बलीवाल, 214, कटला बाजार, गांव रामपुरा तहसील शाहपुरा–303103 जिला जयपुर (राज0)
7 श्री अंकुशकुमार मीना पुत्र श्री बृज मोहन मीना गांव सिकरोडा मीणा तहसील हिण्डौनसिटी जिला करौली–322230 (राज0)
8 कार्यालय प्रति/व्यक्तिगत पत्रावली

सदस्य सचिव

१ IT